

**कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया**  
**(जिला शस्त्र शाखा)**

**आदेश**

श्री राजन कुमार अधिवक्ता पे0- स्व0 ब्रजेन्द्र प्रसाद यादव, साकिन- वसुआ, थाना-पसराहा, जिला-खगड़िया वर्तमान पता वार्ड नं0 2 सन्हौली, थाना-चित्रगुप्तनगर, जिला-खगड़िया ने अपने पिता के मृत्योपरान्त उनके नाम से धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0-02/1985 (गोगरी थाना) को रद्द करते हुए उस पर धारित शस्त्र को भागलपुर गण हाउस, भागलपुर में जमा करने का आदेश देन हेतु अनुरोध किया है। उनके द्वारा शस्त्र को भागलपुर गण हाउस, भागलपुर में जमा भी कर दिया गया है।

आवेदक से प्राप्त आवेदन के आलोक में आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (4) के तहत जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया द्वारा संचिका सं0-IV-22/2018 में दिनांक 04.07.2019 को दिये गये आदेश में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी ब्रजेन्द्र प्रसाद यादव, पे0-स्व0 दीप नारायण यादव, साकिन- वसुआ, थाना- पसराहा, जिला-खगड़िया के नाम से धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या-02/1985 (गोगरी थाना) को रद्द (Cancel) किया जाता है। एवं आवेदक को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र सं0-AB-850078 (राईफल) एवं जिन्दा कारतूस भागलपुर गण हाउस, भागलपुर में जमा किये गये रसीद की छाया प्रति एवं अनुज्ञप्ति पुस्तिका की मूल प्रति इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

Eo/-  
प्रभारी शस्त्र दण्डाधिकारी,  
खगड़िया।

- ज्ञापांक IV-22/2018.504...../जी0, दिनांक.05.07.19
- प्रतिलिपि : श्री राजन कुमार अधिवक्ता पे0- स्व0 ब्रजेन्द्र प्रसाद यादव, साकिन- वसुआ, थाना-पसराहा, जिला-खगड़िया वर्तमान पता वार्ड नं0 2 सन्हौली, थाना-चित्रगुप्तनगर, जिला-खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, गोगरी थाना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : प्रबंधक, भागलपुर गण हाउस, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आई0टी0प्रबंधक, खगड़िया को बेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी शस्त्र दण्डाधिकारी,  
खगड़िया।